



| दिनांक                           | टी0ए0 मिस केस सं0 22/2019-20<br>आदेश   | अभ्युक्ति |
|----------------------------------|--|-----------|
| 13 <sup>07</sup> / <sub>19</sub> | <p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जगदीश बानरा पिता- स्व0 उदय बानरा ग्राम- टोन्टो, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- टोन्टो, थाना- 650, खाता नं0- 47, प्लॉट नं0- 2767, रकवा- 0.12½ एकड़ भूमि क्रेता करण हाईबुरु, पिता- श्री नारायण हाईबुरु, ग्राम-करलाजुड़ी, थाना- मुफसिल के पास बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 423, दिनांक- 21.06.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मत एवं बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता, करण हाईबुरु, पिता- श्री नारायण हाईबुरु, ग्राम-करलाजुड़ी, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति प्रयाप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता जगदीश बानरा पिता-स्व0 उदय बानरा ग्राम- टोन्टो, थाना- मुफसिल क्रेता करण हाईबुरु, पिता- श्री नारायण हाईबुरु, ग्राम-करलाजुड़ी, थाना- मुफसिल के पास जमीन का 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार) रुपये में मौजा- टोन्टो, थाना- 650, खाता नं0- 47, प्लॉट नं0- 2767, रकवा- 0.12½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की. .... स्वीकार ..... दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p><br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>सदर चाईबासा।</p> <p><br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>सदर चाईबासा।</p> |           |